Arrears of SEBs and Power Generation Corporations Towards BHEL

2344. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of POWER be pleasea to state:

(a) whether it is a fact that arrears from various State Electricity Boards and Power Generation Corporations to BHEL have increased to about rupees 2000 crores;

.(b) if so, the details thereof for 1990-91, 1991-92, 1992-93 and 1993-94;

(c) whether corrective measures have been taken to realise these arrears;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) and (b) The details are given below:

Year	Outstanding dues (Rs. Crores)
1990-91	1034
1991-92	1067
1992-93	1251
1993-94	1101

(c) to (e) The Government has taken a decision to deduct the undisputed outstandings as at the end of May, 1990 from the State Electricity Boards to the Bharat Heavy Electicals Limited (BHEL) amounting to Rs. 509 crores, from the Plan assistance of the concerned States. In addition, steps taken by BHEL to realise its due include constant follow-up with customers and the concerned State Government authorities and arranging credit facilities for the customers from financial institutions.

विद्युत परियोजनाओं के लिए लंबित प्रस्ताव

2345. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के पास विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु भेजे गये ऐसे प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो अभी तक स्वीकृत किये जाने या लागू किये जाने हेतु लंबित हैं;

(ख) इन लंबित प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और यह प्रस्ताव कब से लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को शीघ्र लागू करने या स्वीकृति प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से केन्द्रीय विद्युति प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु अधिष्ठापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं से संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा अनुपत्र I में दिया गया है। [देखिए, परिशिष्ट 173, अनुपत्र सं. 50]। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों और जिनके लिए निवेश संबंधी अनुमोदन प्रतीक्षित है, का ब्यौरा परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

(ग) से (ङ) विभिन्न परियोजनाओं, लम्बित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की दृष्टि से विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युति प्राधिकरण द्वारा अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित किए जाने और अपेक्षित निधियों का आबंटन किए जाने के पश्चात् परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाती है/क्रियान्वयन हेतु हाथ में लिया जाता है।

Electrification of Villages

2346. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI:
SHRI IQBAL SINGH:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the number and percentage of villages electrified in each State so far,

(b) the amount being earmarked for this project in each State;

(c) the percentage of villages yet to be electrified, State-wise particularly in Gujarat;

(d) whether any targets have been fixed to electrify the remaining villages; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTERY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) to (c) State-wise details with regard to villages electrified, yet to be electrified, approved plan programme for village electrification and financial